तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.12.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 7/1/21 को पेश हो।
7.1.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेज मय सूची पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किये गये। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही, उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं० 311 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 02 की आराजी नं० 307 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नं० 308 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नं० 310 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि की उत्तरी मेड़ के सहारे-सहारे पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब, पेश दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर सहेमार मनन [illegible] स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके [illegible] निरीक्षण किया गया, तहसील द्वारा [illegible] मौकारिपोर्ट व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नजरी नक्शा व रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ एंव दस्तावेजो मे जिस पहुंच मार्ग का उल्लेख किया गया है उसको तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 मे D के रुप नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है उक्त विकल्प खेतो की सीमाओ पर खातेदारी भूमि मे जाने के लिए पगडण्डी के रुप मे काम मे लिया जा रहा है। जो न तो कृषि वाहनो के आने-जाने योग्य है और न ही रिकार्ड मे दर्ज है इस विकल्प को प्रार्थीगण द्वारा अन्य खातेदारो के मौखिक सहमति व भाईचारे के आधार पर खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए काम मे लिया जाता है। अत: प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु एंव कृषिगत यन्त्रो / वाहनो की पहुंच के लिए नवीन मार्ग की अत्यन्तीक आवश्यकता है, अप्रार्थीगण की आराजी सं० 307,308,310 से प्रस्तावित विकल्प A न्यूनतम मार्ग होने के कारण नवीन मार्ग के रुप मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पहुंच मार्ग की आवश्यतार्थ दर्ज रिकार्ड किया जाना न्यायसंगत है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा रा० का० अ० धारा 251 A का स्वीकार किये जाने योग्य है कि -

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम भाहरवाड़ पटवार हल्का [illegible] तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा [illegible] आराजी नं 311 रकबा 09 [illegible] पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहलकार जिसके हुक्म की तामील में आया

हेतु अप्राथीगण 01, लगायत 02 की आराजी स० 307, 308, 310 कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा भूमि मे से उत्तरी मेड़ के सहारे-सहारे पश्चिम से पूर्वी दिशा की तरफ 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की D. L. C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्राथीगण से प्राप्त कर अप्राथीगण 01 लगायत 02 को भुगतान करे। अप्राथीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

07/01/21

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner